

13-11-17

हुकम की तामील में जारी हुए

यह इजराय हकी रामासिंह मीना स्व. ने पेश की गई। रिपोर्ट अहमद का अवलोकन किया गया। इजराय वर्क राजिरर लेकट रूपालना हेतु तटस्थता बामनवास की खिरवा जाकर पत्रावली। डिक्रीक 4-12-17 को पेश हो।

उपरोक्त का उपस्थित। P.O. शाहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में काम है / अवकाश पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली गलत / आदेशानुसार दिनांक 18.12.17 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर बामनवास (स० मा०)

4/17

रीडर

~~क्र. सं. 50/14 (उ०)~~

136/18

आज पत्रावली राजस्व लोक अकाउंट्स माय आफिस डार केम्य जा 70 डायर पर पेश हुई। 70 हउ डायर डार अकाल कुरमा कि डिक्री की पालना ही चुकी है। अतः पत्रावली को अगले पत्राने का की डी ऑफिस नवी है। अतः पत्रावली के लख भूकार डेयर की डिक्री लखीय कपूर शाखिर की जावे।

जामा इजराय डे डिक्री है

उप जिला कलेक्टर बामनवास (स० मा०)

न्यायालय
प्रमाणित प्रतिलिपि
उपजिला कलेक्टर वामनवास
ता. 02/11/17

डिकरी व मुकदमों इत्यादि
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाखा दिवानी)

अज अदालत :- उपजिला कलेक्टर वामनवास
इजलास :- रामकिशोर भीना (आर.ए.एस.)

1.- मुनेश पुत्र भरतलाल जाति भीना निवासी ढाणी ताजपुरा तहसील वामनवास

-: यादी :-

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी डाबर तहसील वामनवास
2. पुष्पा कव्ठर पत्नि फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी डाबर तहसील वामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वामनवास

-: प्रतिवादी :-

दावा बाबत धोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरस्ती स्थाई निषेधज्ञा

मुकदमा न. :-50/2014

डिकरी जारी दिनांक:-2.11.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी :-लैण्ड होल्डर मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार वाद वादी अंतिम डिकरी किया जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार धोषित किया जाता है ।


1. ग्राम डाबर तहसील वामनवास के आराजी ख.न. 760 रकवा 0.64 हेक्टर एवं 761 रकवा 1.41 हेक्टर एवं 776/964 रकवा 0.10 हेक्टर कुल कित्ता 3 का रकवा 2.15 हेक्टर का वादी को खातेदार धोषित किया जाता है । डिकरी के अनुसार वादी के हक में नामान्तकरण खोलने के आदेश तहसीलदार वामनवास को दिये जाते है । तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे ।

नोट:- वादी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं अंतिम डिकरी निर्णय का भाग रहेगा ।

यह डिकरी आज दिनांक 2.11.2017 को इस न्यायालय की और से जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर

वामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर भीना)
उपजिला कलेक्टर
वामनवास



प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
वामनवास (स० मा०)

